FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

• **उगमानाथ पुत्र श्री देवीनाथ कौम जोगी निवासी ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।** **–प्रार्थी**

बनाम

• **श्योजीनाथ पुत्र श्री देवीनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम भूडोल तहसील व जिला अजमेर राजस्थान वगै.** **–अप्रार्थीगण**

किस्म मुकदमा– 212 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 27 /2022
ऑनलाइन नंबर **2022/**.....

वकील प्रार्थी विजेन्द्र सिंह **वकील अप्रार्थीगण**.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.05.2022	यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सिंह ने अन्तर्गत धारा राज. का. अधि. धारा 212के तहत् पेश किया। प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 17.06.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
17/6/2022	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० / वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र अंकित किया गया कि वे दावा नही चलाना चाहते है दावा खारिज किया जावे आदेश हुआ वकील प्रार्थी को सुना गया / अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर नोट पेज मे खारिज किया जाता है पत्रावली बिना कुछ चार्ज नवाये जावे उपखण्ड अधिकारी अरांई	दावा चलाना नही चाहते है विजेन्द्र सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:22:41 IST
Reason: SelfAttested